[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
गृह मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, तारीख मार्च, 2019

सा.का.नि.....(अ).– केन्द्रीय सरकार, शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 (1968 का 34) की धारा 8क की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शत्रु संपत्ति के निपटान के लिए मार्गदर्शन आदेश, 2018 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :-

(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम शत्रु संपत्ति के निपटान के लिए मार्गदर्शन (संशोधन) आदेश, 2019 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. शत्रु संपत्ति के निपटान के लिए मार्गदर्शन आदेश, 2018 के पैरा 7 में, उप पैरा (1) [k.M (?k) ds ckn निम्नलिखित Mkyk जाएगा, अर्थात्:-

"(?k)(i) राज्य सरकार द्वारा अनन्य रूप से सार्वजनिक उपयोगिता के लिए शत्रु संपत्ति का प्रयोग A"

[फा.सं.37/32/2018-ईपी]

(के.बी. सिंह)
भारत सरकार के संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. संख्यांक 258(अ), तारीख 21 मार्च, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।

IndiaCode

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (i)]

Government of India
Ministry of Home Affairs
Order

New Delhi, date the……March, 2019

G.S.R. (E) ……- In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 8A of the Enemy Property Act, 1968 (34 of 1968), the Central Government hereby makes the following order to amend the Guidelines for disposal of Enemy Property Order, 2018, namely:-

IndiaCode

1. Short title and commencement. – (1) This order may be called the Guidelines for disposal of Enemy Property (Amendment) Order, 2019.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In Guidelines for the disposal of Enemy Property Order, 2018, in paragraph 7, in sub-paragraph (1) after clause (d), the following shall be inserted namely:-

"(d)(i) Usages of Enemy Property by the State Government exclusively for public use."

[F.No.37/32/2018-EP]

(K B Singh)
Joint Secretary to the Government of India

Note: The Principal Notification was published in the Gazette of India, Extraordinary vide GSR 258 (E) dated the 21st March, 2018.

To

The Manager,
Govt. of India Press,
Mayapuri, New Delhi.